संख्या- 671 /अडतीस-7-2020-156नरेगा/2012

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-01 जून 2020

विषय- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत "कोविड-19 वैश्विक महामारी" जन्य परिस्थितियों में सतत् रोजगार/स्वरोजगार अवसरों के सृजन एवं कृषक सशक्तिकरण परियोजना का फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईजेशन की सहायता से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार/रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से समय-समय पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुमन्य कार्यों की सूची के अनुसार वित्तीय व तकनीकी कन्वर्जेन्स की सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में दिनांक 07-05-2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर श्रमिकों के पलायन को देखते हुए 20 लाख व्यक्तियों को औसतन 50 कार्य दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

2- उक्त आलोक में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा जॉब कार्ड धारक लाभार्थियों हेतु सतत् रोजगार/स्वरोजगार अवसरों के सृजन, कृषकों के स्थायी आय संवर्द्धन तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सृजन के उद्देश्य से एक समेकित नवाचार कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समस्त कार्यक्रम मनरेगा योजना के अनुमेय कार्यों की सूची में कृषि एव तत्संबंधी कार्यों की श्रेणी ए,बी तथा डी में सम्मिलित करते हुए उसे बिन्दु संख्या-3 एवं 4 पर अंकित विवरण के अनुसार क्रियान्वित करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

3.0 <u>मनरेगा कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन</u>:- इस योजना से सम्बन्धित में दिशा-निर्देश निम्नवत् होंगे :

3.1 <u>योजना का नाम</u>:- इसका क्रियान्वयन **<u>"कृषक सशक्तिकरण परियोजना"</u>** के नाम से किया जायेगा।

3.2 <u>योजनान्तर्गत चयनित कार्यक्रम</u> :-

3.2.1 <u>औषधीय एवं सगन्ध पौधों (बहुवर्षीय प्रजाति) का रोपण</u>- इसके अन्तर्गत पूर्व में जारी शासनदेश संख्या - 20/2015/1085/अडतीस-7-2015-156मनरेगा/2012, दिनांक 05 जून, 2015 के पैरा 2 के अनुक्रम में लेमनग्रास, पामारोजा, सेट्रोनेला, खस, सर्पगन्धा, सतावर, गिलोय, गुग्गुल एवं बाजार माँग के अनुसार मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अर्ह जॉब कार्ड धारकों की भूमि पर अन्य बहुवर्षीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

3.2.2 <u>बाँस रोपण कार्यक्रम</u>:- इसके अन्तर्गत सामुदायिक व व्यक्तिगत भूमियों पर अनुमन्यतानुसार टिश्यू कल्चर बॉस का रोपण किया जायेगा।

3.2.3 <u>खजूर रोपण कार्यक्रम</u>:- इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामुदायिक व व्यक्तिगत भूमियों पर अनुमन्यतानुसार खजूर (टिश्यू कल्चर) की पौध रोपण का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा।

3.2.4 <u>सहजन पौध रोपण कार्यक्रम</u>:- इसके अन्तर्गत सामुदायिक व व्यक्तिगत भूमियों पर अनुमन्यतानुसार उच्च गुणवत्ता के सहजन पौधों का रोपण किया जायेगा। इसमें पी0के0एम-1, पी0के0एम0-2 तथा ओ0डी0सी0 प्रजाति महत्वपूर्ण है।

3.3 <u>योजना के लाभार्थी</u>:- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत पूर्व से घोषित श्रेणी-5 के लाभार्थियों को संतृप्त करने के उपरांत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर उक्त बिन्दु सं0-3.2 पर अंकित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3.4 <u>परियोजना का क्रियान्वयन</u> :- परियोजना का क्रियान्वयन उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के द्वारा किया जायेगा। फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा मनरेगा कार्ड धारक लाभार्थी किसानों का चिन्हांकन, किसानों का प्रशिक्षण, पौधरोपण, विधायन में सहयोग तथा उत्पाद के विपणन का कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हाँकित कृषक लाभार्थियों को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के प्राथमिक सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए उनकी भूमि पर पैदा हुए उत्पाद की बिक्री से होने वाले लाभांश का 100% लाभांश प्रदान किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु

आवश्यक पौध रोपण सामग्री बोर्ड द्वारा गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों के सहयोग से स्थापित औषधीय एवं सगन्ध पौधों के प्रदर्शन प्रक्षेत्रों/नर्सरियों से बोर्ड की संस्तुति के आधार पर उच्च गुणवत्ता व उत्पादकता वाली पौध किसानों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा वृक्ष लगाने से संबधित सामग्रियों की खरीददारी के संबध में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर 2019-20 के पैरा 7.6.8 मे प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार की जाएगी, जो कि निम्न है।

1- मनरेगा के अन्तर्गत लगायी गयी पौधशालाओं से

2- वन/सरकार की पौधशालाओं से सरकारी दर पर

3- सरकार से अनुमोदित निजी पौधशालाओं से, जिला क्रय समिति डी0पी0सी0 संचालित समिति द्वारा निर्धारित दरों पर।

योजनान्तर्गत प्रस्तावित लाभार्थियों का चिन्हाँकन उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र से कार्यरत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों द्वारा इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप-1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित की गई सूचना प्रारूप-2 में अंकित करते हुए, संबधित इस प्रकार समेकित सूची को बिन्दु संख्या 3.8 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत के GPDP में नियमानुसार सम्मिलित कराया जाएगा।

3.5 <u>परियोजना अवधि</u>- परियोजना अवधि 03 वर्ष की होगी।

3.6 **<u>नोडल एजेंसी-</u>** मनरेगा योजना अंतर्गत कृषक सशक्तिकरण परियोजना का नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश, राज्य जैव विकास बोर्ड, नियोजन विभाग होगा जो तकनीकी मार्ग निर्देश प्रदान करेगा ।

3.7 **<u>प्रशिक्षण</u>** - उत्तर प्रदेश राज्य जैव विकास बोर्ड, नियोजन विभाग द्वारा मेट एवं तकीनीकी सहायक को मापंकन कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नोडल एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा एवं यथावश्यक प्रशिक्षण साहित्य उपलब्ध कराया जाएगा।

3.8 **<u>श्रम बजट में सम्मिलित कराना</u>**- कृषक सशक्तिकरण परियोजना से आच्छादित होने वाले कार्यों को ग्राम पंचायत के मनरेगा श्रम बजट में सम्मिलित कराया जाएगा। कार्ययोजना के निर्माण हेतु आयोजित खुली बैठक में FPO प्रतिनिधि द्वारा पात्र कृषकों की सूची पढ़कर सुनाते हुए ग्राम पंचायत की कार्य योजना व GPDP में कार्य को सम्मिलित कराया जाएगा।

3.9 **<u>प्राक्कलन का निर्माण-</u>** कृषक सशक्तिकरण परियोजना के कार्य का प्राक्कलन तकनीकी सहायक द्वारा बनाया जाएगा तथा तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां पूर्व से प्रदत्त व्यवस्थानुसार जारी की जाएंगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन कार्यदायी

संस्था ग्राम पंचायत है, इसलिए समस्त प्राक्कलन SECURE Software के माध्यम से बनाए जायेंगे। प्राक्कलन के model estimates उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, नियोजन विभाग द्वारा बनाये जाएंगे एवं model estimates को SECURE Software पर Standard Template के रुप मे अपलोड कराया जाएगा। SECURE सॉफ्ट पर राज्य स्तर से अनुमोदित मॉडल प्राक्कलनों को प्रदेश मे सभी कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा।

3.10 **मापंकन**- मापंकन का कार्य तकनीकी सहायक द्वारा किया जाएगा। मेट द्वारा मापंकन किए जाने की दशा में तकनीकी सहायक द्वारा मापंकन (MB) की जांच कर वेरीफाई किया जाएगा।

3.11 **<u>परियोजना का माडल प्राक्कलन</u>**:- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा चयनित फसलों/पौध रोपण कार्य का 0.4 हेक्टेयर/01 एकड़ रकबे पर मनरेगा मानकों के अन्तर्गत पौध रोपण की मानक परियोजना तैयार कर मनरेगा सेल को इस उद्देश्य से उपलब्ध कराया जायेगा कि सम्बन्धित **माडल प्राक्कलन** की प्रति प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों को उपलब्ध करा दी जायेगी। इस मानक के अनुसार ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3.12 **<u>क्लस्टर एप्रोच योजनान्तर्गत</u>**:- कृषक सशक्तिकरण योजना में क्लस्टर अप्रोच मे भी काम किया जा सकेगा। प्रस्तावित पौधरोपण/वृक्षारोपण हेतु क्लस्टर का न्यूनतम साईज 25 एकड़ अथवा 10 हेक्टेयर होगा। उक्त क्लस्टर तैयार करते समय सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा प्रयास किया जायेगा कि चयनित भूमि मार्जिनल प्रकृति की हो; जैसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र में पूर्व से संचालित बड़ी नहर परियोजनाओं के दोनों किनारों पर स्थित किसानों की सीपेज वाली भूमि, परम्परागत बरसाती नालों के किनारे किसानों की व्यक्तिगत भूमि तथा नदियों के दोनों किनारों पर किसानों की व्यक्तिगत भूमि/शासकीय भूमि उपलब्धता के आधार पर, भूमि का चयन करना समीचीन होगा। इस प्रयास से नदी जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण एवं भू-क्षरण को नियंत्रित करने हेतु शासकीय प्रयासों को भी बल मिलेगा और साथ ही सामान्य कृषि एवं औद्यानिकी हेतु भूमि की उपलब्धता भी प्रभावित नहीं होगी।

3.13 **<u>उत्पाद के बिक्री की व्यवस्था</u>**:- योजनान्तर्गत उत्पादित वस्तुओं का विक्रय सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के समन्वय से किया जायेगा। बिक्री से प्राप्त राजस्व प्रत्यक्ष रूप से फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के खाते में उपलब्ध होगा तथा प्राप्त लाभांश का वितरण अन्य कृषि एवं

औद्यानिकी परियोजनाओं की तरह ही सम्बन्धित कृषक सदस्यों में उनकी सहभागिता के आधार पर किया जायेगा।

3.14 सम्बन्धित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों द्वारा अपने लेखा सम्बन्धित विवरण में मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये कार्यों, उस पर होन वाले व्यय तथा उससे होने वाली प्राप्तियों के विवरण को अंकित किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष के समापन के उपरांत इसका चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा आडिट कराया जायेगा तथा इसके रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को प्रस्तुत की जाने वाली कम्प्लायंस में उसे सम्मिलित किया जायेगा। यथा-आवश्यकता माँग पर ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर मनरेगा के सक्षम अधिकारियों को भी उपलब्ध कराना होगा।

4.0 <u>भुगतान की प्रक्रिया</u>:-

(I) <u>श्रमांश का भुगतान</u> -

- एफ0पी0ओ0 का कृषक प्रतिनिधि, जो उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा, के देख-रेख में ग्राम पंचायत के सहयोग से "**कृषि सशक्तिकरण परियोजना**" का क्रियान्वयन किया जायेगा। एफ0पी0ओ0 का प्रतिनिधि कार्यस्थल पर मेट के रूप में कार्य करेगा, जिसका भुगतान अर्द्ध कुशल श्रमिक के रूप में किया जायेगा। मेट की तैनाती मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार की जाएगी। मापांकन का कार्य मेट द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा दिया जायेगा। मेट द्वारा किए गए मापांकन को मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत सक्षम पदाधिकारियों द्वारा यथावशयक जांचा जा सकेगा।
- मस्टर रोल पर उपस्थिति मेट द्वारा भरी जायेगी। भुगतान के लिए ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा मस्टर रोल अग्रसारित किया जायेगा। इस प्रकार भरे गये मस्टर रोल को भुगतान हेतु कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी मस्टर बन्द होने के 08 दिवस (T+8) के अन्दर श्रमिकों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(II) <u>सामग्री का भुगतान</u> -

- औषधीय एवं सगन्ध पौधों का क्रय वन विभाग, उद्यान विभाग की विभागीय व अक्रेडिटिड नर्सरियों तथा एफ0पी0ओ0 द्वारा संचालित नर्सरियों से किया जायेगा। इस उद्देश्य हेतु एफ0पी0ओ0 का वेण्डर के रूप में पंजीकरण NREGA Soft पर किया जायेगा। किसी भी प्रोजेक्ट पर मनरेगा योजनान्तर्गत बिना अकुशल श्रम का कार्य कराए, सामग्री हेतु भुगतान नहीं किया जाएगा। समबधित कार्यक्रम अधिकारी क्रय की गई सामग्री का भुगतान मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदत्त व्यवस्थानुसार करेंगे।

5.0 **फेसिलिटेटर की भूमिका का निर्वहन** :- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा गठित फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियॉं, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु फेसिलिटेटर की भूमिका का निर्वहन करेंगी।

6.0 **अनुरक्षण**- यह कार्य व्यक्तिगत लाभार्थी पर प्रकृति का होने के कारण अनुरक्षण हेतु कोई भी धनराशि लाभार्थी को मनरेगा योजना से उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लाभार्थी को अनुरक्षण एवं पौधे क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन संबंधी कार्य अपने संसाधनों से किया जाना होगा।

7.0 **परियोजनाओं का अनुश्रवण:-** परियोजनाओं के जनपद स्तर पर अनुश्रवण प्रत्येक माह सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। अनुश्रवण रिपार्ट की एक प्रति राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पॉंचवा तल, योजना भवन, लखनऊ - 226001 को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

1.6.20

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/अइतीस-7-2020तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, लघु सिंचाई, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन विभाग, लोक निर्माण, रेशम एवं मत्स्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
7. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
8. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पॉंचवा तल, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।